न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी : सुरेश कुमार, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 125 / 2022 राजस्व अपील

1. हरभजन पुत्र रामचन्द्र जाति गुर्जर निवासी ग्राम राणोली तहसील बहरावण्डा जिला दौसा।

अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बहरावण्डा तहसील बहरावण्डा जिला दौसा।

रेस्पोडेन्ट

(अपील विरूद्व निर्णय तहसीलदार बहरावण्डा तहसील बहरावण्डा निर्णय दिनांक 23.03.2022 प्रकरण उनवानी सरकार बनाम हरभजन प्रकरण संख्या 96 / 2022)

उपस्थिति : श्री उमेश गौड, अधिवक्ता अपीलान्ट उपस्थित।
: श्री राजेश कुमार शर्मा राजकीय अधिवक्ता उपस्थित।

:— निर्णय :— दिनांक: 19.06.2023

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार से है कि भूमि खसरा नम्बर 157 किस्म गैर मुमकिन चरागाह ग्राम राणोली तहसील बहरावण्डा जिला दौसा में स्थित है। अपीलान्ट के विरूद्व तहसीलदार बहरावण्डा के समक्ष प्रस्तुत पटवारी हल्का की प्रतिवेदन रिपोर्ट के आधार पर तहसीलदार बहरावण्डा ने भू—राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये अपीलान्ट को दिनांक 23.3.2022 को अपीलान्ट की अनुपस्थिति में अपीलान्ट को अतिक्रमणशुदा आराजी से बेदखल करने एवं पेनल्टी कायम करने का आदेश पारित कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बहरावण्डा के उक्त आदेश दिनांक 23.03.2022 से व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी रेस्पोडेन्ट की गई व अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब कर बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई।

बहस के दौरान अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि एवं न्याय के सामान्य सिद्धान्तों के विपरीत होने के कारण निरस्तनीय है। अपीलान्ट का मकान, पाटोल, पशुबाडा आराजी खसरा नम्बर 157 ग्राम राणोली में सदैव से बने हुये है। अपीलान्ट सपरिवार उक्त मकान व पाटोल में निवास करता है एवं पशुओं के बाडे में अपने मवेशी रखता है। अपीलान्ट पशुपालक है एवं पशुपालन से दूध बेचकर अपना व परिवार का जीवन निर्वाह करता है। अपीलान्ट उक्त भूमि पर पश्चातवर्ती अतिक्रमी भी नहीं है। अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर तहसीलदार बहरावण्डा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 23.3.2022 निरस्त फरमाये जाने का निवेदन किया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

जवाब बहस के दौरान राजकीय अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपीलान्ट ने ग्राम राणोली तहसील बहरावण्डा की राजकीय गैर मुमकिन चरागाह भूमि खसरा नम्बर 157 रकबा 0.35 है. पर आवला व नींबू के पेड लगाकर तथा मकान व पशु शेड बनाकर अतिक्रमण कर रखा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजकीय गैर मुमकिन चरागाह भूमि पर अतिक्रमण किये जाने के कारण अपीलान्ट अतिक्रमी के विरूद्ध भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही कर अपीलान्ट अतिकमी को अतिकमित आराजी से दिनांक 23.03.2022 को बेदखल कर पेनल्टी की सजा से दण्डित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में बेदखली एवं फसल नीलामी की रिपोर्ट संलग्न की हुई है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के अनुसार अपीलांट उक्त भूमि पर पश्चातवर्ती अतिक्रमी है।

हमने बहस अधिवक्तागण उभयपक्ष पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में प्राप्त अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से यह तथ्य प्रमाणित है कि पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट के विरूद्ध भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही कर उक्त प्रश्नगत निर्णय पारित किया है। अपीलान्ट अतिक्रमी द्वारा ग्राम राणोली तहसील बहरावण्डा स्थित राजकीय गैर मुमकिन चरागाह भूमि खसरा नंबर 157 रकबा 0.35 है. भूमि पर आंवले एवं नींबू के पेड लगाकर एवं मकान व पशु शेड बनाकर अतिक्रमण किया है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट में अपीलान्ट पश्चातवर्ती अतिक्रमी है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में बेदखली एवं फसल नीलामी की रिपोर्ट संलग्न है। ऐसी स्थिति में हम अपील अपीलान्ट खारिज किया जाना उचित समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली लौटाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद पूर्ति प्रविष्ठ लेख भण्डार की जावे।

(सुरेश कुमार)
अति. जिला कलक्टर ,दौसा

निर्णय आज दिनांक 19.06.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(सुरेश कुमार)
अति. जिला कलक्टर ,दौसा